१७७ दाखिल खारिज प्रतिलिपि २००१

न्यायालय उप जिलाधिकारी नवाबगंज, बाराबंकी

वाद संख्या– 69 (08–09) अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0

सुमनलता बनाम सरकार

आदेश

सुमनलता पत्नी राजनाथ राम निवासी बी–1/152 विरामखण्ड गोमतीनगर लखनऊ की ओर से एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का दिया गया कि ग्राम रेन्दुवा पल्हरी तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी के गाटा संख्या–1081 रक्बा 0.632हे0 तथा गाटा संख्या–1082 के रक्बा 0.010हे0 की प्रार्थिनी संक्रमीणीय भूमिधर है और मौके पर काबिज व दखील है। यह भूमि उसने ग्राम पटेलनगर निवासी अतुलकुमार पुत्र महेन्द्र कुमार से जरिये बैनामा खरीदा था उक्त गाटाओं को आवासीय तथा व्यवसायिक प्रयोग हेतु परिवर्तित करने की कृपा करें।

इस प्रार्थना–पत्र की जांच तहसील नवाबगंज से करायी गयी तहसील कीं आख्या के अनुसार ग्राम रेन्दुवा पल्हरी परगना देवा तहसील नवाबगंज की खेतौनी मे गाटा संख्या–1081 रक्बा 0.632हे0 व 1082 रक्बा 0.010हे0 की संक्रमणीय भूमिधर श्रीमती सुमनलता निवासिनी बी–1/152 विरामखण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा अपनी भूमि को धारा–143 के अन्तर्गत आबादी घोषित करने हेतु आवेदन किया गया है भूमि का प्रयोग आबादी के रूप मे हो रहा है। भूमि पूर्णतया अकृषिक है। चारो ओर से बाउण्ड्री घेर कर मुख्य गेट लगा है किनारे घर बना है शेष क्षेत्रफल पर चारो तरफ से इन्टरलाकिंग करके आबादी के रूप मे प्रयोग किया जा रहा है। आकार पत्र (नियम 135) पर तहसील से आख्या भी प्राप्त हुई जिसमे गाटा संख्या–1081 व 1082 आपस मे मिली हुई है मौके पर चारो ओर से ऊची दीवार से घेर के मुख्य गेट लगाकर अन्दर मे आवास बना है सम्पूर्ण क्षेत्रफल अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मैने तहसील की आख्या एवं संलग्न अभिलेखो व विक्रय पत्र का अवलोकन किया। तहसील की आख्या के अनुसार गाटा संख्या–1081 व 1082 जो सुमनलता पत्नी राजनाथ राम निवासी बी–1/152 विरामखण्ड गोमती नगर लखनऊ के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। इस पर चारो ओर ऊंची दीवार से घेर कर मुख्य गेट लगा कर अन्दर आवास बनाया गया है सम्पूर्ण क्षेत्रफल अकृषिक प्रयोग मे है इस लिए उक्त गाटाओं को अकृषिक प्रयोजन मे प्रयुक्त भूमि घोषित किये जाने मे कोई बैधानिक अडचन नही है।

अतः ग्राम रेन्दुवा पल्हरी परगना देवा तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी मे स्थिति गाटा संख्या–1081/0.632 व 1082/0.010हे0 को अकृषिक प्रयोजन मे प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक नवाबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक 08–07–2009

(अनिल कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी
नवाबगंज बाराबंकी।

महोदय,
R. खतौनी 3 के पृष्ठ 797 के क्रमांक 66 पर अमलदरामद किया।
8/7/09

सत्य प्रतिलिपि 04-12-19
अम्बिका प्रसाद मिहिर
राजस्व अभिलेख पाल
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट–बाराबंकी

भारत
ड्रा0मैन/प्रतिलिपिक
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, बाराबंकी